



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935

No. 577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

अधिसूचना सं. का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 की सारणी में, तमिलनाडु राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“67	नागपट्टनम - तंजावूर - त्रिची - करूर - कोयंबटूर	किमी 0.000 से 332.600”
-----	--	------------------------

अधिसूचना सं. का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 की सारणी में, तमिलनाडु राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“47	केरल/तमिलनाडु सीमा - कन्याकुमारी	किमी 599.000 से 655.00”
-----	----------------------------------	-------------------------

अधिसूचना सं. का.आ. 485 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2010 की सारणी में, केरल राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“47	केरल राज्य में चरथलाई - ओचिरा - तिरुवनंतपुरम	किमी 379.100 से 551.900”
-----	--	--------------------------

अधिसूचना सं. का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 की सारणी में, ओडिशा राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“200	ओडिशा राज्य में चांदीखोल - दुबारी - पितरी जंक्शन	किमी 365.500 से 428.030”
------	--	--------------------------

अधिसूचना सं. का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 की सारणी में, केरल और ओडिशा राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“17	केरल राज्य में कुट्टीपुरम - ईडापल्ली	किमी 318.000 से 438.600”
“23	ओडिशा राज्य में चांदीखोल - दुबारी - तालचर	किमी 8.500 से 15.750”

अधिसूचना सं. का.आ. 2719 (अ), तारीख 30 नवंबर, 2011 की सारणी में, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“232ए	उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव - लालगंज (सारा-232)	किमी 0.500 से 66.000”
-------	---	-----------------------

[फा.सं. एनएच-14013/19/2013-पी एंड एम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना क्रमशः सं. का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2005; का. आ. 485(अ) तारीख 26 फरवरी, 2010; का. आ. 1035(अ) तारीख 7 मई, 2010 और का. आ. 2719(अ) तारीख 30 नवंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 675(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways namely :—

In the Table to the notification number S.O. 1399 (E) dated the 27th September, 2005, the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively in respect of State of Tamilnadu shall be substituted namely :—

“67	Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore	From Km. 0.000 to Km. 332.600.
-----	---	--------------------------------

In the Table to the notification number S.O. 1399 (E) dated the 27th September, 2005, the following entries in respect of the State of Tamilnadu, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted :—

“47	Kerala/Tamilnadu Border-Kanyakumari	From Km. 599.000 to Km. 655.00.”
-----	-------------------------------------	----------------------------------

In the Table to the notification number S.O. 485 (E) dated the 26th February, 2010, the following entries in respect of the State of Kerala, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted :—

“47	Cherthalai-Ochira-Thiruvananthapuram in the State of Kerala	From Km. 379.100 to Km. 551.900.”
-----	---	-----------------------------------

In the Table to the notification number S.O. 1035 (E) dated the 7th May, 2010, the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively in respect of State of Orissa shall be substituted namely :—

“200	From Chandikhole-Dubari-Pitri Junction in the State of Orissa	From km. 365.500 to km. 428.030”
------	---	----------------------------------

In the Table to the notification number S.O. 1035 (E) dated the 7th May, 2010, the following entries in respect of the State of Kerala and Orissa, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted :—

“17	From Kuttipuram-Eddapally in the State of Kerala	From Km. 318.000 to Km. 438.600
23	From Chandikhole-Dubari-Talchar in the State of Orissa	From Km. 8.500 to Km. 15.750.”

In the Table to the notification number S.O. 2719 (E) dated the 30th November, 2011, the following entries in respect of the State of Uttar Pradesh, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively shall be omitted :—

“232A	31	Unnao-Lalganj (NH-232) in the State of Uttar Pradesh	From Km. 0.500 to Km. 66.000
-------	----	--	------------------------------

[F. No. NH-14013/19/2013-P&M]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy

Note : The principal notification was published vide number S.O. 1399(E), dated the 27th September, 2005; S.O. 485 (E) dated the 26th February, 2010; S.O. 1035 (E) dated the 7th May, 2010 and S.O. 2719 (E) dated the 30th November, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 676(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 12, 19, 22 और 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

(1)	(2)	(3)
“12.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [किमी 18.00 से किमी 318.000 (कर्नाटक/केरल सीमा - कन्नूर - कुट्टीपुरम) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47 [किमी 182.040 से किमी 358.750 (तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47ए, रारा सं. 49, रारा सं. 208, रारा सं. 212, रारा सं. 213 और रारा सं. 220 के उतने भाग जो केरल राज्य में अवस्थित हैं।	केरल राज्य सरकार

19.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (किमी 200/0 से किमी 280/060 बालासोर से ओडिशा/झारखंड सीमा), रारा सं. 6, [किमी 0.000 से किमी 88.000 (संबलपुर - बारगढ़-ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 23, [किमी 211.200 से किमी 336.815 (बीरमित्रपुर - बरकोटे खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 43, रारा सं. 75, रारा सं. 200 [किमी 365.500 से किमी 428.030 (चांदीखोल - दुबरी - पितरी जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 217, रारा सं. 201, रारा सं. 203 [किमी 0.000 से किमी 59.000 (भुबनेश्वर - पुरी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 203ए, रारा सं. 215 [किमी 0.000 से किमी 269.000 (पानीखोली रिमूली - राक्सी - राजामुंडा) तक खंड को छोड़कर], सं. 224, नई रारा सं. 153बी, नई रारा सं. 157, नई रारा सं. 220 और नई रारा सं. 326 के उतने भाग जो ओडिशा राज्य में अवस्थित हैं ।	ओडिशा राज्य सरकार
22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 (नई रारा सं. 40) [किमी 0.0 से किमी 160.40 (चेन्नै से वालझा) तक खंड को छोड़कर] और रारा सं. 4 के किमी 13.8 से शुरू होने वाला और रारा-5 (नई रारा सं. 16) के किमी 13.6 पर मिलने वाला बाइपास (चेन्नै बाइपास चरण-II), रारा सं. 45 (नई रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै - त्रिची - डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से किमी 421.650 और किमी 27.8 से किमी 421.650 (डिंडीगुल - थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), रारा सं. 45बी (नई रारा सं. 38) [मदुरै - अरूपकोट्टई - तूतीकोरीन तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47 (नई रारा सं. 66 और 544) [किमी 0.000 से किमी 182.040 (सलेम से तमिलनाडु/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 49 (नई रारा सं. 87), रारा सं. 66 (नई रारा सं. 32 और 77) [तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा - टिंडीवनम - तिरुवन्नामलाई - कृष्णागिरी तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [कोयंबटूर - मेत्तूपलयम - तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 68 (नई रारा सं. 79) [तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - तिरुथेनी - चेन्नै तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 207 (नई रारा सं. 648, रारा सं. 208 (नई रारा सं. 744), रारा सं. 209 (नई रारा सं. 83), रारा सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.00 से किमी 94.00 (त्रिची - करईकुडी - देवाकुट्टई रास्ता) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 219 (नई रारा सं. 42), रारा सं. 220 (नई रारा सं. 183) [किमी 215.500 से किमी 273.600 (थेनी - कुमिली) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 226 (नई रारा सं. 135) (पेरांबलूर - पेराली - कीलापालूर - अरियालूर - कुन्नम - तिरुवईयारू - कांडियूर - तंजावूर), रारा सं. 230 (नई रारा सं. 85), रारा सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38) और नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं ।	तमिलनाडु राज्य सरकार
24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, रारा सं. 7, रारा सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 19, रारा सं. 24 [किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड तथा मुरादाबाद बाइपास सहित गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 24ए, रारा सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया संरेखण) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, 28सी, रारा सं. 29, रारा सं. 56, रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ.प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 72ए, रारा सं. 73, रारा सं. 74, [किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर - सितारगंज - बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 75 [किमी 90.00 से	उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार”

किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 76, रारा सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91ए, रारा सं. 92, रारा सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 79.00 (आगरा-अलीगढ़ खंड), रारा सं. 96, रारा सं. 97, रारा सं. 119, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 235, नई रारा सं. 330ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 931, और नई रारा सं. 931ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा.सं. एनएच-14013/19/2013-पी एंड एम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-3491 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 676(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 12, 19, 22 and 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“12	So much of National Highways No. 17[excluding from Km. 18.00 to Km. 318.000 (Karnataka/Kerala Border-Kannur-Vengalam-Kuttiapuram)], No. 47 [excluding from Km. 182.040 to Km. 358.750 (from Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi)], No. 47A, No. 49, No. 208, No. 212, No. 213, and No. 220 as are situated within the State of Kerala.	State Government of Kerala
19	So much of National Highways No. 5 (from Km. 200/0 to Km. 280/060 from Balasore to Orissa/Jharkhand Border), No. 6 [excluding from Km. 0.000 to Km. 88.000 (Sambhalpur-Baragarh-Orissa/Chhatisgath Border)], No. 23 [excluding from Km. 211.200 to Km. 336.815 (Birmitrapur-Barkote Section)], No. 43, No. 75, No. 200 [excluding from Km. 365.500 to Km. 428.030 (Chandikhole-Dubari-Pitri Junction), No. 217, No. 201, No. 203 [excluding from Km. 0.000 to Km. 59.000 (Bhubaneswar-Puri)], No. 203A, No. 215 [excluding from Km. 0.000 to Km. 269.000 (Panikholi Rimuli-Roxy-Rajamunda)], No. 224, new NH No. 153B, new NH No. 157, new NH No. 220 and new NH No. 326 as are situated within the State of Odisha.	State Government of Odisha
22	So much of National Highway No.4 (New NH No. 40)[excluding from Km. 0.0 to Km. 106.40 (from Chennai to Wallajah)] and the bypass starting from Km. 13.8 of NH-4 and joining at Km. 13.6 of NH-5 (New NH No. 16) (Chennai Bypass Phase-II), No.45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183) [excluding from km. 27.8 to 421.650 of Chennai-Trichy-Dindigul section and from km. 2.750 to km. 73.40 (Dindigul-Theni Section], No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 45B (New NH No. 38)[excluding Madurai-Arumpukotai-Tuticorin section], No.47 (New NH No. 66 and 544) [(excluding from Km. 0.000 to Km.182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No.49 (New NH No. 87), No.66 (New NH No. 32 and 77) [excluding Tamil Nadu/ Pondicherry Border-Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri sections), No.67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding Coimbatore	State Government of Tamil Nadu

	Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Section), No.68 (New NH No. 79) [excluding Salem-Ulundurpet Sections), No.205 (New NH No. 716) [excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-Chennai Sections), No.207 (New NH No. 648), No.208 (New NH No. 744), No.209 (New NH No. 83), No. 210 (New NH No. 336 and 536)[excluding from km. 10.00 to km. 94.00 (Trichy-Karaikudi-Devakottai Rastha)], No.219 (New NH No. 42), No.220 (New NH No. 183) [excluding from km. 215.500 to 273.600 (Theni-Kumili)], No. 226 (New NH No. 135) (Perambalur- Perali- Keelapalur- Ariyalur- Kunnam- Thiruvaiyaru-Kandiyur-Thanjavur), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38) and New NH No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	
24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad – Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses), No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29, No.56, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A, No.73, No.74 {excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)}, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai section)] , No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (Agra- Aligarh section), No.96, No.97, No.119, No. 232A, No. 233, No. 235, New No. 330A, New No.730, New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh”.

[F. No. NH-14013/19/2013-P&M]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 3491 (E), dated the 26th November, 2013.